

# न्यायालय उपायुक्त, खूंटी

फॉर्म -14 फार्म सं० 562

न्यायालय द्वारा सम्राहती खूंटी  
आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129



दा० खा० खोजनः वाद सं० ..... 04R15 ..... वर्ष ..... 2014 ..... धारा .....  
A/CTR No-02R15/15

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

मगतू महतो एवं अन्य वनाम शिखर महतो वर्जित

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
02.09.14	<p>अवेढक मगतू महतो पे०-स्व० जगमोहन महतो (2) फागु महतो पे०-स्व० कन्दरा महतो 3. शंकर महतो पे० स्व० लदुरा महतो 4. लखानु महतो 5. अचरू महतो 6. अघना महतो 7. रन्धू महतो 8. देसरू महतो सभी के पे० स्व० लब्धाण महतो 9. वसन्त महतो 10. पुखे महतो पे० स्व० नन्कु महतो सभी खडिगान- रेवा पोस्ट-विरहू ग्राम-खूंटी जिला-खूंटी ने मुक्ति सुधार उप-सम्राहती खूंटी के नगरपालिका द्वारा वाद संख्या- दखिल-खारिज वाद संख्या- 02/14/15 में दिनांक- 04.04.14 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दखिला बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक-23.04.14 को खे।</p>	<p>21.01.15 21.10.15 21.10.15 21.11.15</p>
23.09.14	<p>अवेढक द्वारा उपस्थिति दी गयी है। App. अमानत. 14.7.2014 PCRF की कार्यवाही समाप्त</p>	<p>21.10.15</p>

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
24-02-16	<p>अतिरिक्त द्वारा वंग विधायी के अधिनियम इस उपदिष्ट की गयी है निम्न न्यायालय का अतिरिक्त अध्याय है 019/03/16 को  </p> <p style="text-align: right;"> श्री 03/10</p> <p>अतिरिक्त उपस्थानित सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं शुद्धि सुधार विभाग कारखाने रॉकी के पत्रांक- 332/रा०/दि०/३- २५-०१-२० के द्वारा प्रविष्टित है कि The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision के सुनवाई करते का अधिकार महा collector को है न कि Additional collector/ Deputy collector को है।</p> <p>अतः उक्त विभाग द्वारा के आलोडने अधिकार सुनवाई हेतु अतिरिक्त उपस्थित सूची के न्यायालय में हस्तोदित करें। अतिरिक्त</p> <p style="text-align: right;"> 1.7.2020 अपर लगाइया सूची।</p>	